

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, सहरसा।
बी० सी० सी० ए० वाद संख्या— 24/2019
राज्य बनाम भोला यादव
आदेश

यह कार्यवाही अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 की उप धारा-3 के तहत की जा रही है। पुलिस अधीक्षक, सहरसा ने अपने पत्रांक-1230/अप०शा०, दिनांक- 16.03.2019के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि भोला यादव, पिता- स्व० बलदेव यादव, साकिन- भेलाही भरही वार्ड नं०- 17, थाना- नवहट्टा, जिला- सहरसा एक सक्रिय व कुख्यात अपराधकर्मी है। इनके द्वारा कई संगीन अपराधों का अंजाम दिया गया है। इनका साठ गांठ कई सक्रिय अपराधकर्मियों के साथ है। इनके द्वारा किये गये अपराध से आमजनों में भययुक्त माहौल बना रहता है और इनके आतंक से लोग काफी भयभीत रहते हैं। वर्तमान में ये माननीय न्यायालय से जमानत पर मुक्त हैं। आगामी लोक सभा निर्वाचन- 2019 में ये विभिन्न दलों के साथ मिलकर अपनी दबंगता एवं अपराधिक गतिविधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे लोक सभा निर्वाचन 2019 को स्वच्छतम सम्पन्न कराने में व्यवधान पड़ने की संभावना बतायी गयी है। उक्त अपराधकर्मी को बाहर रहने से विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उक्त अपराधी भा०द०वि० के अध्याय 16 एवं 17 में उल्लेखित दंडनीय अपराध में संलिप्त रहता है तथा अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 के धारा-2 (डी.) में वर्णित असामाजिक तत्व की परिभाषा इस पर पूर्ण रूप से लागू होता है। इनका अपराधिक इतिहास निम्नवत है।

नवहट्टा थाना काण्ड संख्या- 08/99 दि०- 21.03.99 धारा- 376,379,34 भा०द०वि० में आरोप पत्र संख्या- 105/99, दिनांक- 12.07.99 समर्पित।

नवहट्टा थाना काण्ड संख्या- 37/96 दि०- 07.08.96 धारा- 341,323,379,447,34 भा०द०वि० में आरोप पत्र संख्या- 49/96, दिनांक- 19.01.96 समर्पित।

नवहट्टा थाना काण्ड संख्या- 41/85 दि०- 09.08.85 धारा- 395 भा०द०वि० में आरोप पत्र संख्या- 38/85, दिनांक- 28.12.85 में आरोपित।

नवहट्टा थाना काण्ड संख्या- 01/79 दि०- 05.04.79 धारा- 457,380 भा०द०वि०।

नवहट्टा थाना काण्ड संख्या- 43/81 दि०- 20.09.81 धारा- 457,380 भा०द०वि०।

नवहट्टा थाना काण्ड संख्या- 54/81 दि०- 04.02.81 धारा-



395 भा०द०वि०।

नवहट्टा थाना काण्ड संख्या- 25/84 दि०- 06.05.84 धारा-
395 भा०द०वि०।

नवहट्टा थाना काण्ड संख्या- 03/81 दि०- 06.02.81 धारा-
395 भा०द०वि०।

नवहट्टा थाना काण्ड संख्या- 110/11 दि०- 10.10.11 धारा-
147,149,504,341,323,436,427 भा०द०वि०।

पुलिस को सूचना मिली कि भोला यादव असामाजिक तत्वों को एकत्र कर लोकसभा चुनाव 2019 में अपने समर्थित अभ्यर्थी के पक्ष में लोगों को मतदान करने के लिए डरा धमका रहे हैं जिससे आम मतदाता काफी भयभीत हैं। यह भी सूचना प्राप्त हुई कि इनके द्वारा अगामी चुनाव में व्यवधान उत्पन्न किये जाने की योजना बनाया जा रहा है, जिससे शांतिपूर्ण चुनाव में व्यवधान उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। उक्त आलोक में अधोहस्ताक्षरी न्यायालय से पत्रांक- 137 /न्याया0/ सपत्र, दिनांक 18.03.2019 द्वारा नोटिश जारी कर प्रतिवादी को अपना कारण-पृच्छा समर्पित करने हेतु दिनांक- 25.03.2019 को 3.00 बजे अप0 निर्धारित की गई। प्रतिपक्षी के द्वारा दिनांक- 26.03.2019 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने बताया कि इन पर वर्णित काण्ड में जो आरोप है, वह गंभीर प्रकृति के हैं। ऐसे चरित्र के व्यक्ति को छोड़ना न्यायहित एवं लोकहित में उचित नहीं है।

प्रतिवादी के अपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2(डी)(1) के अन्तर्गत ये " असामाजिक तत्व " है तथा इसकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये खतरनाक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध हैं, जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त है या लिप्त हो सकते हैं, जो भारतीय दंड विधान 1981 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है, जिस पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है। अतएव उल्लेखित तथ्यों के आधार पर भोला यादव, पिता- स्व० बलदेव यादव, साकिन- भेलाही बर्गही वार्ड नं०- 17, थाना- नवहट्टा, जिला- सहरसा को लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी होने अर्थात् दिनांक- 25.05.2019 तक के



लिए सहरसा जिला से समस्तीपुर जिला के लिए जिला बदर किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे दिनांक- 30.03.2019 से समस्तीपुर जिला के टाउन थाना में सदेह उपस्थित होकर प्रत्येक दिन 9.00 बजे पूर्वाह्न से 11.00 बजे पूर्वाह्न एवं 5.00 बजे अपराह्न से 8.00 बजे अपराह्न के बीच अपना उपस्थिति दर्ज करायेंगे। यदि वे दिनांक- 23.04.2019 को अपना मत का प्रयोग करना चाहेंगे, तो उन्हें लिखित रूप से सूचना टाउन थाना में, मतदान केन्द्र पर पहुँचने हेतु यात्रा रूट, चलने का समय एवं वापसी का समय अंकित कर पूर्ण व्यौरा समर्पित करना होगा तत्पश्चात ही मतदान करने हेतु प्रस्थान करेंगे।

थानाध्यक्ष, टाउन थाना समस्तीपुर, को निदेश दिया जाता है कि वे अपने थाना में सहरसा जिला से तड़ीपार किये गए भोला यादव, पिता- स्व० बलदेव यादव, साकिन- भेलाही भर्ही वार्ड नं०- 17, थाना- नवहट्टा, जिला- सहरसा के लिए एक उपस्थिति पंजी खोलकर उसमें प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज करवायेंगे तथा साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, सहरसा को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति जिला दण्डाधिकारी, समस्तीपुर/ पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर, / थानाध्यक्ष, टाउन थाना / पुलिस अधीक्षक, सहरसा/ थानाध्यक्ष नवहट्टा को भेजें।

भोला यादव को इस आदेश की प्रति तामिला कराने एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु थानाध्यक्ष नवहट्टा को भेजें।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, सहरसा को पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर/ थानाध्यक्ष, टाउन थाना समस्तीपुर को अपने स्तर से तामिला हेतु तथा सहरसा जिले के सभी थानाध्यक्षों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने संबंधी निदेश देने के लिये अग्रसारित करेंगे।

आदेश की प्रति जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सहरसा को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति सहरसा जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

लेखापित्त एवं शुद्धिकृत

जिला दण्डाधिकारी,
सहरसा।

जिला दण्डाधिकारी,
सहरसा



ज्ञापांक 182 / न्याया0, सहरसा, दिनांक- 26.03.19

प्रतिलिपि- जिला दण्डाधिकारी, समस्तीपुर/ पुलिस अधीक्षक, समस्तीपुर/ थानाध्यक्ष, टाउन थाना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, सहरसा/ थानाध्यक्ष नवहट्टा / जिला एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, सहरसा एवं जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- भोला यादव, पिता- स्व० बलदेव यादव, साकिन- भेलाही भर्षाही वार्ड नं०- 17, थाना- नवहट्टा, जिला- सहरसा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला दण्डाधिकारी,
सहरसा।

